873/26.7.03.

संख्या:-15-एक(5)/न्याय विभाग/2003

प्रेषक,

बी. लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

श्री अनेन्द्र कुमार शर्मा,
सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।

न्याय विभाग देहरादून:दिनांक: 25 जुलाई, 2003

विषय:- नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु पदों का सृजन किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करायें जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए लिपिक एवं चपरासी के एक-एक पद अर्थात कुल 6 अस्थाई संवर्गीय पदों को निम्न विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद भरे जाने की तिथि जो भी बाद मे हो से दिनांक 29.2.2004 तक, बशर्ते ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	प्रति जनपद	पदों की संख्या (जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत)	वेतनमान
1	लिपिक	1	3	रुपये 3050-75-3950-80-4590
2	चपरासी	1	3	रुपये 2550-55-2660-60-3200
	कुल योग	2	6	

2- उक्त पदधारकों को उक्त पद के वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये महंगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

3- उक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती जनपद स्तरीय अधिकारी की तैनाती के उपरान्त ही की जायेंगी । उक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती यथासंभव प्रदेश के सरप्लस/छटनीशुदा कर्मियो से ही की जायेगी ।

4- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरुप तद्विषयक संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि के रुप मे मानें जायेंगें ।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 851/वित्त अनुभाग-3/2003, दिनांक 25.7.03 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(बी. लाल)
सचिव ।

संख्या:- 15-एक(5)(1)/न्याय विभाग/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2- जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत ।
3- वित्त अनुभाग 3/गार्ड बुक ।